भारतीय समाज का संयोजनः जनजातियां
(Composition of Indian Society : Tribes)

जनजाति की अवधारणाः–

डी.एन.मजूमदार :– ''जनजाति परिवारो का एक ऐसा समूह, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के विषय में कुछ विशेष नियमो का पालन करते है।

राल्फ बिंटन :– जनजाति को व्यक्तियों के एक ऐसे समुदाय के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, जो एक समान भाषा बोलता हो, समान भू–भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समानता पाई जाती हैं।

जनजाति की विशेषताएं

1) निश्चित भू–भाग में निवास
2) विशिष्ट नाम
3) विशिष्ट भाषा
4) टोटम (गणचिन्ह)
5) गोत्र व्यवस्था
6) विशिष्ट संस्कृति एवं सामान्य
7) अन्तर्विवाही समुदाय
8) आत्मनिर्भर समुदाय
9) परंपरागत व्यवसाय

भारत में जनजातियां

संविधान के अनुच्छेद 342 अंतर्गत 541 जनजातियों को भारत की अनुसुचित जनजाति घोषित किया जा चुका है। विभिन्न जनजातियों में से अनुसुचित जनजाति के रूप में उन्हीं को मान्यता दी गयी है जो निम्न चार विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं :–

(1) जिनकी उत्पत्ति किसी जनजातिय समुदाय द्वारा हुई हो।
(2) जो भौगोलिक रूप से पृथक किसी पिछड़े क्षेत्र में निवास करती हो,
(3) जिसका जीवन आदिम विशेषताओं से युक्त हो, तथा
(4) जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछडी हुई हो।

वर्ष 2011 में जारी जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है एवं भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत 8.22: है।

छत्तीसगढ़ में जनजातियां

छ.ग. राज्य जनगणना अनुसार कुल 42 प्रकार के अनुसुचित जनजातियां (PVGT) पायी जाती हैः–
उदाहरणः– गोंड, कंवर, उरीव, बिरोहर, परजा, दोरला, कमार, हल्बा, कोरकू , बैगा आदि।
छ.ग. राज्य में कुल 05 पिछड़ी जनजातियां पायी जाती है :–
पहाड़ी कोरवा, बिरोहर, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया एवं इसके अतिरिक्त 02 अन्य जनजातियों को राज्य द्वारा (PVGT) घोषित किया गया है :– पेडो एवं भुजियां

भारत में जनजातियों का वर्गीकरण

(1) भौगोलिक आधार पर :–

उत्तरी क्षेत्र :– कश्मीर, पंजाब, हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश में भाटिया, कुकी, खम्पा, बुक्सा, खस, एवं थारू जनजातियां।

दक्षिण क्षेत्र :– आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्विपसमुह में कोटा, कादर, टोडा, पनियन, उराली, चेंचू, ओंग आदि जनजातियां।

पूर्वी क्षेत्र :– मेघालय, असम, नागालैण्ड, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश में गारो, खासो, नागा जनजातियां।

पश्चिमी क्षेत्र :– गुजरात में भील जनजाति।

मध्यक्षेत्र :– संथाल, गोड़, उराव, खरिया, बैगा, मुण्डा भील तथा है। जनजातियां म.प्र. छ.ग. झारखण्ड एवं उड़ीसा राज्यों में पायी जाती है।

(2) भाषायी आधार पर वर्गीकरण :–

(1) द्रविड़ भाषा परिवार

↓

टोडा
डरीव
कादर
दक्षिण एवं मध्य क्षेत्र की जनजातियां

(2) औस्ट्रिक

↓

खड़िया
हो
संथाल
मुण्डा
अडमानी

(3) चीनी तिब्बती

↓

गारो
खासी
नागा
लेज्चा
उत्तर एवं पूर्वी क्षेत्र की जनजातियां

(3) आर्थिक आधार पर वर्गीकरण :–

(1) शिकार करने वाले जनजातियां :– बिरहोर, कादर, चेंचू, कूकी, आदि।

(2) खाद्य संग्रहण करने वाली जनजातियां
पहाड़ी कोखा, परजा, मुड़िया, दोरला आदि। लगभग सभी जनजातियां जंगलो से खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कार्य करती है।

(3) वनोपज संग्रहण करने वाली जनजातियां

(4) पशुपालक जनजातियां :– बिरहोर, भोटिया, टोडा।

(5) कृषक जनजातियां :– उराव, खड़िया, मुण्डा, गोंड।

(6) कलाकृति बनाने वाली जनजातियां :– कमार, बिरहोर, मुड़िया–माड़िया आदि।

जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ

1) सामाजिक समस्याएँ :–

- सामाजिक संक्रमण
- धर्म परिवर्तन
- मद्यपान
- परिवारिक विघटन

(2) आर्थिक समस्याएँ :–

- गरीबी
- पिछड़ापन
- बेरोजगारी
- आवास की समस्या
- ऋणग्रस्तता

(3) सांस्कृतिक समस्याएँ

- बहू विवाह
- भाषा का विलुप्त होना
- नृत्य शैली का विलुप्त होना
- गायन शैली का विलुप्त होना

(4) स्वास्थ्य एवं पोषण की समस्या

मृत्युदर अधिक होना
स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
जागरूकता में कमी
पौस्टिक भोजन का अभाव

(5) शिक्षा संबंधी समस्याएं :–

अधिक शाला त्याग दर
जागरूकता का अभाव
शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुँच की समस्या
छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
प्रंपरागत शिक्षा पद्वति
भाषा संबंधी समस्या

(6) राजनीतिक असंतोष की समस्या :– जनजातियां आंदोलन

(7) विकास कार्यक्रमों से उत्पन्न समस्याएँ :–

विकास योजनाओं की विफलता
हितग्राहियों तक लाभ नही पहुंच पाना
योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव

अनुसुचित जनजातियों के लिए संवैधानिक

प्रावधान :–

(1) अनुच्छेद 46 :– राज्यों को निर्देशित कर कहा गया है कि अनुसुचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितो की रक्षा की जाएं तथा उन्हें सभी तरह के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए प्रयत्न किये जाएं।

(2) अनुच्छेद 164 :– (भाग 6) बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की जाएं।

(3) अनुच्छेद 275 :– जनजातिय कल्याण के केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता दी जायेगी।

(4) अनुच्छेद 330 तथा 332 :– क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधान की सीटो में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

(5) किसी भी जनजाति को अनुसुचित जनजाति घोषित करने या सूची से जनजाति को पृथक करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

(6) अनुच्छेद 365 (भाग 4) :– जनजातियों को सार्वजनिक क्षेंत्रो में रोजगार में आरक्षण की पात्रता प्रदान की गयी है।

(7) अनुच्छेद 338 :– राष्ट्रपति द्वारा जनजातिय कल्याण हेतु अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

जनजातीय कल्याण के प्रयत्न

1. संसद एवं विधान सभाओं में आरक्षण
2. सेवाओं में आरक्षण
3. शिक्षा की विशेष सुविधा
4. जनजातीय विकास कार्यक्रम
   (I.T.D.P) समन्वित जनजातीय विकास परियोजना रोजगार, प्रशिक्षण, ऋण और अनुदान की सहायता दी जाती है।
5. सरकारी विपणन का विकास – TRIFED जनजातीय विपणन विकास संघ दस्तकारी, वनोपज एवं कृषि उपज का अच्छा मूल्य दिलाया।
6. पुनर्वास की सुविधाएं
7. शिक्षा संबंधी सुविधाएं

- छात्रवृत्ति योजना
- छात्रावास सुविधा निःशुल्क
- आई.ए.एस सुविधा निःशुल्क